NJESR/March2025/Volume-7/Issue-3 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2025.7.3.11-21

वित्तीय समावेशन का बैकिंग व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन

डॉ अनिल कुमार
सहायक आचार्य
इंदिरा गाँधी मेमोरियल पी जी कॉलेज , पीलीबंगा
(Received -18 February 2025/Revised-28 February 2025/Accepted-7 March 2025/Published -25 March 2025)

शोध सारांश -

वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय साक्षरता का समुचित प्रसार हो और वित्तीय समावेशन के वाहक ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए जिन्हें ग्रामीण जनता और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों की आर्थिक जरुरतों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समुचित जानकारी हो। तभी, वह वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्यों को वंचित आबादी तक क्रियान्वित कर सकता है। वित्तीय समावेशन का अभाव समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। जहॉ तक व्यक्ति का सबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोग अनौपचारिक बैकिग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते है, जहॉ ब्याज दरें अधिक होती है और प्राप्त होने वाली राशि काफी कम होती है। चूँकि अनौपचारिक बैकिंग ढॉचा कानून की परिधि से बाहर है, अतः उधार देने वालो और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद का कानूनन निपटान नहीं किया जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को संस्थागत बैकिंग व्यवस्था अर्थत बैंकों के माध्यम से धन की लेन-देन की प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन अथवा कहलाता है, यह न केवल लोगों के समृद्धि के लिए आवश्यक होता है बल्कि यह किसी राष्ट्र की समृद्धि को निर्धारित करता हैं वित्तीय समावेशन से व्यक्ति, परिवार एवं समाज सुरक्षित होता है। वह किसी भी तरह के आकस्मिक आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम हो पाता है।

शब्द संकेत - वित्तीय समावेशन, बैकिंग व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता।

परिचय -

स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास की अनिवार्यता पर बल दिया जाता रहा है। ग्रामीण विकास हेतु सरकार एवं नीति-निर्माताओं द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न नीतियॉ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए गये। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1951 से अब तक तेरह पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। परन्तु, ग्रामीण व्यक्ति एवं समाज के नीचले से नीचले स्तर पर बैठे व्यक्ति तक विकास एवं वित्तीय सेवाएं पहुंच पायी है? यह एक विचारणीय प्रश्न है जो बुद्धिजीवियों के मन मस्तिस्क में उत्पन्न होता है। ग्रामीण विकास में वित्त की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती होती है अतः यहॉ वित्तीय समावेशन की चर्चा करना परमावश्यक है। औपनिवेशक गुलामी झेलने के कारण भारत में आम लोग बहुत लंबे समय तक संस्थागत बैकिंग व्यवस्था से जुड़े नहीं थे। इसके कारण वे साहूकार जैसे स्थानीय महाजन से शोषित होते थे तथा ऋण जाल में पूरी जिन्दगी गुजार देते थे अथवा अपनी पूरी सम्पत्ति खो बैठते थे। आजादी के बाद बनी स्वदेशी सरकार ने भारत के सभी लोगों तक बैंकिगं व्यवस्था पहॅचाने के लिए विभिन्न प्रयास किया ।

वित्तीय समावेशन क्या है -

वित्तीय समावेशन से सामान्य आशय समाज के हर वर्ग के व्यक्ति विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों तक उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्घ कराने हेतु प्रारंभ की गई नीति से है। हालॉकि वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच.आर.खान समिति ने किया था लेकिन यह कोई नवीन प्रक्रिया की शुरूआत आजादी के उपरांत ही शुरू हो गई थी। 2008 में रंगराजन समिति के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने गति प्राप्त की।वित्तीय समावेशन हेतु विश्व बैंक, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाये, विशेषकर फ्री बैंक खाते खोलना, खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नही, इलैक्ट्रानिक भुगतान चैनल द्वारा बैंक में जमा एवं निकासी, कही भी

बैंकिंग और कभी भी बैंकिंग की अवधारणा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, लोन सुविधा, एटीएम सुविधा तथा एटीएम पर जमा एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है।

वित्तीय समावेशन का सामान्य अर्थ समाज के हर वर्ग के व्यक्ति विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों तक उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई नीति से है। वित्तीय समावेशन का उपयोग भारत में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री वाई.वी. रेड्डी द्वारा अप्रैल 2005 में किया गया था। वित्तीय समावेशन हेतु विश्व बैंक, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए, विशेषकर; फ्री बैंक खाते खोलना, खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त करना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल द्वारा बैंक में जमा एवं निकासी, कहीं भी बैंकिंग और कभी भी बैंकिंग की अवधारणा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, लोन सुविधा, एटीएम सुविधा तथा एटीएम पर जमा एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है। वित्तीय समावेशन शब्द को 2000 के दशक की शुरुआत से महत्व मिला है, जो वित्तीय बहिष्करण की पहचान करने का एक परिणाम है। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय समावेशन का गरीबी से सीधा संबंध होता है।

साहित्य समीक्षा

सिनक्लेअर (2001) के अनुसार वित्तीय वंचन का अर्थ है, उचित रूप में आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थता और यह वंचन नकारात्मक अनुभवों या अवबोधनों के प्रतिक्रियास्वरूप पहुँच, स्थितियों, कीमतों, विपणन या स्व-वर्जन संबंधी समस्याओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है। वित्तीय समावेशन के मापन के लिए सिनक्लेअर ने धनप्रेषण, ऋण, बीमा, कर्ज और कर्ज सहायता, दीर्घकालिक बचत और वित्तीय साक्षरता के लिए मूलभूत बैंकिंग सेवाएं आदि को संकेतक माना है।

चान्ट लिंक एण्ड एसोसिएट्स (2004) ने वित्तीय वंचन को मुख्यधारा के प्रदाताओं से उपयुक्त कम लागत वाले, उचित और सुरक्षित वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में कुछ

उपभोक्ताओं के लिए पहुँच का अभाव माना है, जो निम्न आय वाले वित्तीय संकट से ग्रस्त उपभोक्ताओं पर लागू होने पर चिंता का कारण बन जाता है। इसके संकेतकों में जमा खाते, प्रत्यक्ष निवेश, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक ऋण, भवन बीमा और गृह बीमा आदि पहलुओं को सम्मिलित किया है।

भारत में वित्तीय समावेशन -

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक आर्थिक रूप से कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल भुगतान और सूक्ष्म ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान, पेटीएम भुगतान, मोबाइल बैंकिंग भुगतान आदि सुविधाएं इसमें सम्मिलित की गई है। इससे ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकेगा। केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सहकारी बीमा योजना आदि प्रमुख योजनाएं है।वित्तीय समावेशन योजनाओं के अन्तर्गत खुले बैंक खाते की संख्या को तालिका 1.1 में बताया गया है।

तालिका 1.1: भारत की वित्तीय समावेशन योजनाओं के अन्तर्गत खुले बैंक खाते 2022 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	बैंक खाते (करोड़)
1	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेवाई)	2014	47.84
2	अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	2015	4.92
3	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)	2017	14.82
4	स्टैंड अप इंडिया योजना	2016	0.16
5	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	2015	38.24
6	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	2015	31.88

स्रोत- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर प्रतिवेदन,31.12.2022, भारतीय रिज़र्व बैंक।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का एक उच्चतर अंश वित्तीय सेवाओं के लिए निम्नतर माँग का कारण बनता है क्योंकि निर्धन लोगों के पास बचत बैंकों में जमाराशि के रूप में रखने हेतु बचत नहीं होती है। इस प्रकार, निम्न आय वित्तीय सेवाओं, विशेष रूप से बचत के उत्पादों के लिए कम माँग उत्पन्न करती है। इसी तरह विकास के निम्न स्तरों पर निवेश की गतिविधि निम्न हो सकती है। इससे बैंकों और अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण के लिए कम माँग पैदा हो सकती है। तथापि, जैसे-जैसे गरीबी के स्तर नीचे आते हैं तथा परिवार उच्चतर आय के वर्गों में पहुँचते हैं, बचत करने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है जो फिर दोनों बचत और निवेश के प्रयोजनों हेतु वित्तीय सेवाओं के लिए उच्चतर माँग को प्रेरित करती है।जनता द्वारा ऋण की माँग अनेक गतिविधियों के लिए उत्पन्न होती है, जैसे आवास,उद्यम, कृषि कार्य और उपभोग की आवश्यकताएं इत्यादि। ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुँचने में कठिनाइयों के कारण निर्धन व्यक्ति तथा छोटे उद्यम सामान्यतः वृद्धि के अवसरों का उपयोग करने के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं उद्यमवृत्ति की गतिविधियों में निवेश करने के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत अथवा आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता -

यदि देश की समस्त आबादी को विभिन्न वित्तीय गतिविधियों तथा विकासपरक कार्यक्रमों से जोड़ना है तो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हमें दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। इस दिशा में कार्य करने के लिए बैंकों को सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से कमजोर, उपेक्षित, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों तक बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँच पायी है। हालांकि इन सभी के पीछे हमारे देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां भी जिम्मेवार है।

भौगोलिक कारण - हमारे देश की भौगोलिक संरचना, आबादी का असमान वितरण, गांवों में आधारभूत संरचना का अभाव इत्यादि कारणों से बैंकों के लिए हर जगह शाखाएं खोलना संभव नहीं है।

सामाजिक कारण - सामाजिक रुप से पिछड़े लोगों के बीच वित्तीय शिक्षा तथा वित्तीय उत्पादों की जानकारी का घोर अभाव रहता है।

आर्थिक कारण - कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ग्रामीण एवं शहरी गरीब बैंक खाते खोलने के लिए इच्छुक नहीं होते। ऐसे में बैंकों से उपलब्ध साख सुविधाओं के अभाव में वे स्थानीय साहूकारों से मंहगे दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर होते है।

वित्तीय समावेशन की दिशा में अब तक के प्रयास-

भारत में सरकार, विश्व बैंक व रिजर्व बैंक द्वारा बहुत से कदम उठाए गए जिसके माध्यम से अधिक से अधिक वित्तिय समावेशन प्राप्त किया जा सके। पाडुचेरी में मंगलम भारत का पहला गांव बन गया जहां सभी घरों को बैकिंग सुविधाए प्रदान की गई। विभिन्न क्षैत्रों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत वित्तिय समावेशन अभियान शुरू किए गए। इसके परिणामस्वरूप पाडुचेरी, केरल, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने जिलों में 100 प्रतिशत वित्तिय समावेशन को घोषित किया। वित्तिय समावेशन को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। फिनटेक आर्थिक रूप से कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाईल भुगतान और सुक्ष्म ऋण सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु काम कर रहा है साथ ही ऑनलाईन भुगतान व पेटीएम मोबाईल भुगतान की सुविधाऐं सम्मिलित की गई जिससे वित्तिय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। सरकारी योजनाओं के अर्न्तगत भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सहकारी बीमा योजना आदि प्रमुख है। वित्तिय समावेशन की गणना चार मापदण्डों पर होती है। स्वतंत्र भारत सरकार के गठन के बाद से वित्तीय समावेशन के दिशा

में अब तक काफी प्रयास किए जा चुके है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में निम्नलिखित कार्यो को बताया जा सकता है।

1- अग्रणी बैंक की अवधारण को लागू किया जाना - वर्ष 1969 में गाडगिल समिति के सुझाव के आधार पर अग्रणी बैंक या लीड बैंक की अवधारणा को लागू किया गया। इसके अतंगर्त वह बैंक जिसकी जिले में सर्वाधिक शाखाएं हो, को वह जिला वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से गोद लेना होता है। वह बैंक उस जिले की अग्रणी बैंक कहलाती है।

2- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक करता है परंतु यह उस सार्वजनिक बैंक के भिन्न नाम से कार्य करता हैं यह किसी राज्य के ग्रमीण हिस्से में स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऋषि के लिए ऋण प्रदान करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना है।

3- शुन्य जमा राशि पर खाता खोलने की व्यवस्था- समाज के कमजोर वर्ग को बैंक खाता प्रदान करने के लिए 0 राशि पर खाता खोलने की व्यवस्था लाई गई। इसे नो फ्रिल्स अकाउंट अथवा बेसिक अकांउट भी कहा जाता है। ऐसे खातों में किसी भी दिन नगद लेने-देन 10000 से ज्यादा का नहीं हो सकता एवं किसी भी समय इन खातों में 50,000 से ज्यादा की धनराशि जमा नहीं रखी जा सकती हैं

4- बैकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना - आजादी के दौरान भारत में कार्यरत सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार मात्र शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा था तथा इससे समाज का केवल उच्च वर्ग ही जुड़ा हुआ था। अतः जमाकर्ता के हितों को सरंक्षित रखने के उद्देश्य से, बैकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के उद्देश्य से एवं समाज के निम्न वर्गों को भी बैंकिग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया आरंभ की। इस प्रक्रिया

के अंतगर्त वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंक जिनकी न्यूनतम जमा राशि 50 करोड़ थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुनः 1980 में 6 अन्य बैंक जिनकी न्यूनतम जमा राशि 200 करोड़ की थी उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

5- मुद्रा योजना और मुद्रा बैंक- अप्रैल 2015 में प्रारम्भ मुद्रा योजना के अंतगर्त मुद्रा बैंक की स्थापना की गई जो कि दिल्ली में स्थित है। मुद्रा बैंक वर्तमान में सिडबी के अतंगर्त कार्यरत है। नाबार्ड की तरह ही यह भी एक बैंक नहीं अपितु एक पूर्ण वितत संस्थान हैं जोकि उन सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को ऋण प्रदान करती है। जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों कों ऋण प्रदान करते हैं।

मुद्रा बैंक की स्थापना कुल 20,000 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश से की गई थी एवं 3000 करोड़ रूपए का एक अतिरिक्त रखा गया था। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां है। ये रोजगार का एक प्रमुख साधन है परंतु पूजी के कमी के कारण एवं आसानी से ऋण की प्राप्ति न होने के कारण इन औद्योगिक इकाइयों का विस्तार प्रभावित होता रहा है। अतः ऐसे में मुद्रा योजना के अन्तगर्त इन औद्योगिक इकाइयों को भी ऋण सुनिश्चित कराया जा सकता है।

6- वित्तीय समावेशन सूचकांक- वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय एक वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा जो औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा उत्पाद शामिल है, तक पहॅच और उनके उपयोग का एक मापक होगा।

सूचकांक में तीन मापक आयाम होंगे-

1. वित्तीय सेवाओ तक पहॅच
2. वित्तीय सेवाओं का उपयोग
3. गुणवत्ता।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य -

- वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करता है। इससे बचत, निवेश में वृद्धि होती है जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास को गति मिलती है।
- इससे लोगों को पैसा बचत करने की आदत लगती है मुख्य तक कमजोर वर्ग वालों के लिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती है। बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की उपस्थिति का उद्देश्य बचत की आदत को विकसित करके बैंकों को लाभ प्रदान करना है। वैसे स्थान जहां बैंक नहीं पहुंच पाते उनके लिए यह औपचारिक ऋण के रास्ते भी बनाता है जो परिवार, दोस्तों और साहूकारों पर निर्भर हैं।
- इसकी सहायता से ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा भेजने में काफी लाभ मिला जिसमें के इन्हें पहले बहुत ज्यादा मैं के तरीकों से एक जगह से दूसरे जगह तक पैसा भेजना पड़ता था।
- वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया ऐसे वित्तीय उत्पाद बनाने की दिशा में काम करती है जो समाज के कम भाग्यशाली लोगों के लिए उपयुक्त हों ।
- इसका उद्देश्य गरीब लोगों को उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियों, घरेलू जरूरतों, प्राथमिकताओं और आय के स्तर के अनुसार दर्जी और कस्टम-निर्मित वित्तीय समाधान प्रदान करना है।
- वित्तीय समावेशन मेलों तथा "जनता से जुड़ना" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी प्रदर्शित किया जा रहा है जिसने बैंकिंग को देश के सभी कोनों में त्वरित, आसान, सुविधाजनक और सुलभ बना दिया है। आधार, जन धन और मोबाइल के संगम ने बैंकिंग सुविधा के स्वरूप में एक चमत्कारिक बदलाव लाया है। तकनीक के कुशल प्रयोग, एटीएम की बढ़ती संख्या, और मोबाइल ऐप ने लोगों की बैंकिंग सुविधा तक पहुंच को आसान बनाया है। आज ग्रामीण इलाकों में

कुल 12.48 लाख बैंकिंग आउटलेट मौजूद हैं। अब तक 1.10 करोड़ से भी ज्यादा स्वयंसहायता समूहों का बैंकलिंकेज हुआ है, बी सी सखी का एक मजबूत नेटवर्क गांवों में उपलब्ध है। पीएमजन धन योजना ने ऐसे 44.59 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा जो आज तक इससे वंचित थे। साथ ही, डीबीटी योजना से पैसे को सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना संभव हो पाया है।

अध्ययन का निष्कर्ष -

समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक रहित है। बिना बैंक वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल मूल लेनदेन बैंक खाते है। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होने लेनदेन करने के लिए पारंपरिक उपकरण सुरक्षित किए हैं लेकिन यह डिजिटल निगमन के लिए पर्याप्त नही है। विश्व बैंक के अनुसार, लगभग 2 अरब लोग औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में 50 प्रतिशत व्यस्क से अधिक बैंक रहित है। इसने उन कम आय वाले लोगों के बीच वित्तीय अस्थिरता और गरीबी को उत्पन्न किया है जिनके पास वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पहुॅच नहीं है। यहॉ बहुत कम बैंक है, विशेष रूप से ग्रामीण चोरी क्षेत्रों में, कि ये बिना बैंक वाले उपयोगकर्ता या तो नकदी या चैक में लेनदेन करत है, जो उन्हें चोरी और धोखाधड़ी के प्रति कमजोर बना देता है। इस कारण से हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता हैं। आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल किए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं।

संदर्भ

1- Barua, A. et.al., "The Status of Financial Inclusion : Regulation and Education in India", *ADBI Working Paper Series*, April 2016, No.- 568, Page 1-20.

2- Gupta, P. and Bharti Singh, "Role of Literacy Level in Financial Inclusion in India : Empirical Evidence", *Journal of Economics, Business and Mangement*, Aug. 2013, Vol.- I, No.- 3, Page 1-6.

3- Mohan, A.R., "Role of Regional Rural Bank in Rural Development with Reference to Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank of Srikakulan District of Andhra Pradesh", 2010, Acharya Nagarjuna University, Andhra Pradesh.

4- Rajakaran, N.R., "Inclusion the Excluded : The Scenario of Financial Inclusion in India", *IOSR Journal of Business and Management*, Feb. 2018, Vol.- 20, No.- 02, Page 64-69.

5- Report of NABARD on All India Rural Financial Inclusion Survey, Department of Economic Analysis and Research, Mumbai, 2016-17.

6- Sharma A. and MS. Sumitra, "An Analytical Study : Relevance of Financial Inclusion for Developing Nations", *Research Inventory: International Journal of Engineering and Science*, 2013, Vol.- 2 No.- 6, Page 15-20.